

फा. सं. 116/2/2018-सीएक्स 3
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स

नई दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक
16 फरवरी, 2018

सेवा में,

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)

वेब-मास्टर, सीबीईसी के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त

महोदय/महोदया,

विषय: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सीईएसटीएटी के आदेश विभाग द्वारा स्वीकार किए गए और जिन पर कोई समीक्षा याचिका, एसएलपी दायर नहीं की गई है की बावत।

क्षेत्रीय कार्यालयों एसएलपी और सीए प्रस्ताव बोर्ड को भेजते हैं। उनमें से कई परीक्षा के बाद अनुमोदित नहीं होते हैं और उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के ऐसे निर्णय अंतिम हो जाते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह की जानकारी को क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किया जाए। इस परिपत्र में संक्षेपित विभिन्न उच्च न्यायालयों के 63 आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इनमें से चौदह आदेशों में माननीय उच्च न्यायालयों ने कानून के विभिन्न प्रश्नों का निर्णय किया है। शेष उनतालीस मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ सुलझे हुए केस कानून के आधार पर निर्णय दिए हैं या तथ्यों के बिंदु तय किए हैं या अपील को खारिज कर दिया है। मौद्रिक आधार। उक्त आदेशों का इस परिपत्र में अनुपालन किया गया है ताकि क्षेत्र में लंबित मामलों का शीघ्रता से निर्णय किया जा सके, यदि कानून के प्रश्न या इसमें शामिल तथ्य समान हैं।

2. परिपत्र के दो भाग हैं, अर्थात् भाग I और भाग II, जहां भाग I में विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेश शामिल हैं जिनमें कानून के बिंदु तय किए गए हैं और भाग II में ऐसे आदेश शामिल हैं जो तथ्यों पर तय किए गए हैं या खारिज कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा सभी आदेशों को स्वीकार कर लिया गया है और उनके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई एसएलपी आदि नहीं दिया गया है।

3. यह अभ्यास मुकदमों को कम करने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है ताकि कानून के समान प्रश्नों पर या आपके अधिकार क्षेत्र में लंबित तथ्यों पर समान मामले पर निर्णय लिया जा सके।

भाग I:

1. (क) डीबी सीडब्ल्यूपी 4784/2012, 5285/2012 और 5286/2012 में सावित्री कॉनकास्ट लिमिटेड के मामले में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.02.2016,

(ख) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.09.2015 सीईए संख्या 20 2015 में आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, चंडीगढ़-। बनाम मैसर्स क्वालिटी स्टील्स, मंडीगोबिंदगढ़, के मामले में पारित हुआ।

(ग) मैसर्स कोहिनूर डायग एंड पीटीछ मिल्स (पी) लिमिटेड, सूरत के मामले में 2007 की टैक्स अपील संख्या 1581 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 13.10.2015 का निर्णय।

1.1 विभाग ने उपरोक्त निर्णयों को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालयों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांकित 24.11.2015 मैसर्स श्री भगवती स्टील रोलिंग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और अन्य के मामले में निर्णय के आधार पर विभागीय अपीलों को खारिज कर दिया है।

1.2 मैसर्स श्री भगवती स्टील रोलिंग बनाम कमिश्नर के मामले में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्न की जांच की कि क्या ब्याज और जुर्माने के प्रवधान नियम 96 ZO, 96 ZP और 96 ZQ के तहत प्रावधान जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3A के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए थे, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं और माना गया कि वे अल्ट्रा वायर्स हैं। फैसले का एक अंश नीचे दिया जा रहा है,

"... कानून द्वारा न होने वाले शुल्क की राशि के बराबर एक अनिवार्य जुर्माना लगाने से कानून के अधिकार के बिना नियम 96ZO, 96 ZP और 96 ZQ बन जाएंगे। इसलिए, हम इन सभी मामलों में निर्धारितियों के तर्क को बरकरार रखते हैं और नियम 96ZO, 96 ZP और 96 ZQ को रद्द करते हैं, क्योंकि वे इसके बराबर अनिवार्य जुर्माना लगाते हैं इस आधार पर शुल्क की राशि कि ये प्रावधान अनुच्छेद 14, 19(1)(छ) का उल्लंघन करते हैं और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के विरुद्ध हैं।"

2. (क) 2013 के कर अपील संख्या 415 और 2014 के 662 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम डैशियन लिमिटेड के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 08.01.2016 का निर्णय [2016-टीआईओएल-111-एचसी-एचएम-एसटी],

(ख) आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम नेशनल इंचनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीईए संख्या 3/2016 [2016-TIOL-922-HC-RAJ-CX के मामले में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.02.2016]

2.1 विभाग ने उन निर्णयों को स्वीकार कर लिया है जिनमें माननीय उच्च न्यायालयों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए विभाग की अपील को खारिज कर दिया था कि प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण पर्याप्त लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

2.2 डैशियन लिमिटेड के मामले में निर्धारित जल उपचार संयंत्र और अन्य संबंधित वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ था और भुगतान किए गए शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर रहा था।

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत अनुमत इनपुट, पूंछगत सामान और इनपुट सेवाएं। निर्धारित की पांच विनिर्माण इकाइयां थीं और इसका पंछकृत कार्यालय वटवा, अहमदाबाद में था।

निर्धारिती कई कर योग्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा था जैसे कि निर्माण और कमीशनिंग, जल उपचार संयंत्र की मरम्मत और रखरखाव, आदि।

2.3 राजस्व प्राधिकारियों ने निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि यह एक इकाई द्वारा अन्य इकाई की निकासी के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान किए गए सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त कर रहा था। निर्धारिती से विवरण एकत्र करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें निर्धारिती से पूछा गया कि क्यों सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट इनपुट सेवा पर ब्याज और दंड के साथ वसूल नहीं किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस में ही, के रूप में इस तरह के प्रस्ताव के लिए आधार। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने 2004 के नियमों के नियम 15 के उप-नियम (3) का उल्लेख किया था विभाग की दो प्राथमिक आपत्तियां थीं कि निर्धारिती ने सेवा कर (व्यक्तियों की विशेष श्रेणी का निबंधन), नियमावली के अंतर्गत स्वयं को पंछकृत नहीं कराया था। 2005 और यह कि एक इकाई से कर क्रेडिट का उपयोग विभिन्न इकाइयों के बीच आनुपातिक वितरण के बजाय दूसरी इकाई की कर देयता के निर्वहन के लिए किया गया था। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने ब्याज और दंड के साथ शुल्क मांगों की पुष्टि की गई है।

2.4 इसलिए, जांच किए गए कानून के बिंदु यह थे कि निर्धारिती ने इनपुट सेवा वितरक द्वारा आनुपातिक वितरण के बिना अपनी अन्य इकाई की शुल्क देयता के उद्देश्य के लिए एक इकाई से क्रेडिट का उपयोग किया था और आगे निर्धारिती ने सेवा कर (व्यक्तियों की विशेष श्रेणी का पंछकरण), नियम 2005 के तहत खुद को पंछकृत नहीं किया था।

2.5 माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह का दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं था क्योंकि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 7 के तहत इस प्रकृति का कोई पूर्व प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा आईएसडी का गैर-पंछकरण केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है जिसके लिए सेनवैट क्रेडिट के पर्याप्त लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है जब प्रतिवादी द्वारा सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए गए हैं।

3. मैसर्स भूषण स्टील लिमिटेड सीईए संख्या 32/2016 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2016।

3.1 विभाग ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कानून के बिंदु पर सेस्टेट के निर्णय को बरकरार रखा है कि शुल्क का सेनवैट क्रेडिट अधिक लिया गया है और निर्धारित मूल्य के अनुपात में नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अनुसार पक्षकारों द्वारा अपने विक्रेता से प्राप्त कच्चा माल निर्माता के लिए स्वीकार्य है।

3.2 आदेश में जिस मुद्दे की जांच की गई वह यह था कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा भूषण स्टील लिमिटेड को एचआर कॉइल्स की बिक्री के मामले में, यह प्रथा थी कि निर्माता, टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर स्टॉक एक चालान जारी करके माल को गाजियाबाद में अपने डिपो में स्थानांतरित करता है, जो कि मालवाहक एजेंट के परिसर में स्थित है, जिस पर उत्पाद शुल्क और शिक्षा को कथित तौर पर जारी किया जाता है। उपकर का भुगतान किया जाता है। भूषण स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड के डिपो से डिस्पैच एडवाइस कम इनवॉयस जारी करने पर उक्त एचआर कॉइल्स खरीदता है, जो पर दिखाए गए मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत वहन करता है। डिपो में स्टॉक ट्रांसफर पर फैक्ट्री से माल निकालने का चालान। हालांकि, सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाते हुए, भूषण स्टील ने स्टॉक ट्रांसफर पर टाटा स्टील डिपो को जारी किए गए चालान पर दिखाई गई पूरी राशि के आधार पर क्रेडिट लिया था।

3.3 सीईएसटीएटी ने पक्षकारों के पक्ष में निर्णय लिया कि आपूर्तिकर्ता ने सीबीईसी परिपत्र संख्या 877/15/2008-सीएक्स दिनांक 17.11.08 के आधार पर कीमत में कमी के कारण किसी भी वापसी का दावा नहीं किया था। और सीसीई बनाम एमडीएस स्विचगियर लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय [2008 (229) ईएलटी 485 (एससी)]। माननीय उच्च न्यायालय ने सेस्टेट के निर्णय को बरकरार रखा और विभागीय अपील को खारिज कर दिया।

4. 2014 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 7815 में अपार उद्योग (पॉलिमर डिवीजन) बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.12.2015 [2015-TIOL-2859-HC-AHM-सीयूएस]

4.1 विभाग ने 2014 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 7815 में अपार उद्योग (पॉलिमर डिवीजन) बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। आदेश में जांचा गया मुद्दा इस प्रकार है, निर्माता निर्यातक, मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज (पॉलिमर डिवीजन) ने नियम 18 के तहत आवश्यक के बजाय नियम 19 के तहत गलत प्रारूप में छूट के दावे दायर किए। इसे सही ढंग से फिर से दायर किया गया था लेकिन विभाग ने माना कि बाद में दाखिल करने का समय वर्जित था। माननीय न्यायालय ने माना कि छूट का दावा करने का इरादा स्पष्ट था और पहले आवेदन को विभाग द्वारा छूट आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए था। जो कुछ गलत फाइलिंग से उत्पन्न दोष को सुधारा जा सकता था। ऐसी स्थितियों में, पुनः प्रस्तुत करने को एक सतत प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए और इसलिए मामले में विभाग को निर्देशित किया गया था। गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के छूट दावों की जांच करना।

5. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड EXCIA No.17/2015 के मामले में जयपुर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2016

5.1 विभाग ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने विभागीय अपील को खारिज कर दिया था।

5.2 मामला विदेश व्यापार नीति 2004-09 और अधिसूचना सं. 44/2001-सीई (गै.टे.) दिनांक 26.06.2001। प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकरण योजना का लाभ उठाने वाला एक निर्धारित कच्चे माल को शुल्क मुक्त खरीदता है, लेकिन वर्तमान मामले में यह था पाया गया कि माल शुल्क के भुगतान पर खरीदा गया था और बाद में सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया गया था।

5.3 मैसर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निर्धारित ने कच्चे माल की शुल्क मुक्त आपूर्ति के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में डीछएफटी से अमान्यता पत्र प्राप्त किया। लेकिन निर्धारित ने खरीद लिया केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर माल और सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। यह एफटीपी और अधिसूचना संख्या 44/2001-सीई (गै.टे.) दिनांक 26.06.2001 के उल्लंघन में प्रतीत होता है, क्योंकि योजना में आपूर्तिकर्ता निर्माता द्वारा शुल्क के भुगतान की अनुमति नहीं थी।

5.4 इसके अलावा, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता ने भी अवैध प्राधिकरण (अमान्यता के बिना दर की तुलना में) के खिलाफ अपने माल की आपूर्ति कम दर पर की। इस प्रकार, उन्होंने मैसर्स को सुविधा प्रदान की भुगतान किए गए शुल्क का सेनवैट क्रेडिट लेने के लिए बीकेआई जो वास्तव में निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा था।

5.5 मांग की पूर्ति होने के बाद निर्धारित सेस्ट में गया जिसने अंतिम आदेश दिनांक 23.07.2014 द्वारा पक्षकारों की अपील की अनुमति दी। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभागों की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि सीसीई, ठाणे 1 बनाम ओलेफाइन ऑर्गेनिक प्राइवेट में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक ही मुद्दे का फैसला किया गया था। लिमिटेड जो अंतिम रूप प्राप्त हुआ जब विभाग की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

6. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड डब्ल्यू(सी) संख्या 7120/2001 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2016

6.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 11ख में प्रदान की गई समय-सीमा को माफ कर दिया है। विकल्प प्रयोगशालाओं के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर छूट के लिए आवेदन करने के लिए अधिनियम, 1944 जहां माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि "याचिकाकर्ताओं ने अपने एक ऐसे फोरम के समक्ष अपील जिसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव था।

6.2 आदेश में जांचा गया मुद्दा इस प्रकार है, मेसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक छूट का दावा दायर किया था जिसे क्षेत्राधिकारी उपायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। आधार है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ख के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12(1)(क) के अनुसार छूट दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। शर्त संख्या के तहत (iv) अधिसूचना संख्या। 41/94-सीई (गै.टे.) दिनांक 22.09.1994 उक्त नियम 12 (1) के तहत जारी किया गया। उक्त के तहत निर्धारित अनुसार छूट दाखिल करने के लिए 6 महीने की सीमा अवधि धारा 11 ख पूर्ण थी और अधिनियम में नियमों या अधिसूचना में छूट का कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम के प्रावधान को पार, संशोधित या संक्षिप्त कर सकता है।

6.3 निर्धारित ने उक्त ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त (अपील) ने अपील खारिज कर दी। तब निर्धारित ने एक संशोधन आवेदन दायर किया के खिलाफ उन्होंने ओआईए कहा। जेएस (आरए) ने आवेदन खारिज कर दिया।

6.4 तब निर्धारित ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.08.2016 के आदेश द्वारा निर्धारित की अपील को टाइम बार को माफ करते हुए स्वीकार कर लिया जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी में छूट के लिए आवेदन करने के लिए प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा च्वाइस लेबोरेटरीज में कानून का बिंदु पहले ही तय किया जा चुका है, जहां इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था,

"मामले के उस दृष्टिकोण में, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता एक गलत मंच के समक्ष उपचार का मुकदमा चला रहे थे, हालांकि वास्तविक विश्वास के तहत। निश्चित रूप से, सीमा के प्रश्न पर विचार करते समय इस तरह के उपाय करने में लगने वाले समय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में हुई देरी। पुनरीक्षण आदेश में, हमें इस तरह की कार्यवाही का कोई उल्लेख या संदर्भ नहीं मिलता है और याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तार से हलफनामा यह बताता है कि संशोधन अपीलिय आदेश की उपलब्धता को तुरंत दायर क्यों नहीं किया गया था लिमिटेशन एक्ट के अनुसार, देरी के बीच एक स्पष्ट अंतर है जिसे पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर माफ किया जा सकता है और वह अवधि जिसे सीमा

पर विचार करने के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। में बिताया गया समय वास्तविक विश्वास के तहत एक गलत मंच के समक्ष मुकदमा चलाना सीमा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार बहिष्करण खंड के अंतर्गत आएगा। विशेष रूप से, जब ट्रिब्यूनल ने अपनी रजिस्ट्री को उचित से पहले प्रस्तुतिकरण के लिए कागजात वापस करने का निर्देश दिया फोरम और याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई, पूरे मामले को याचिकाकर्ताओं के नजरिए से देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने एक ऐसे फोरम के समक्ष अपनी अपील दायर की थी जिसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव था।"

बॉम्बे हाई कोर्ट ने EPCOS इंडिया मामले में भी इस विचार को दोहराया है।

7. मैसर्स ठक्कर टोबैको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.10.2015। 2015 की टैक्स अपील संख्या 619 में लिमिटेड

7.1 विभाग ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय न्यायालय ने कानून के प्रश्न पर विभागीय अपील को खारिज कर दिया है, चाहे निर्माता के पास नियम 10 के अनुसार शुल्क जमा किए बिना 15 दिनों या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए कारखाने के बंद होने की स्थिति में शुल्क में स्वतः कमी का विकल्प है। पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क का संग्रह) नियम, 2008, निम्नलिखित आधारों पर,

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और पीएमपीएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार छूट दी जानी है और कानून द्वारा पारित किए जाने वाले छूट के किसी भी आदेश को निर्धारित नहीं किया गया है। डीसी / एसी जैसे किसी भी प्राधिकरण।

ख) पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में, एक स्पष्ट प्रावधान था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश द्वारा छूट के दावे का प्रावधान करता है। जब सरकार की मंशा है कि उस राशि को विशिष्ट तरीके से वापस किया जाना है, तो एक स्पष्ट प्रावधान प्रदान किया जाता है। हालांकि आक्षेपित नियम ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है।

ग) एफ.सं.267/16/2009-सीएक्स-8 दिनांक 12.03.2009 से बोर्ड निर्देश वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि पीएमपीएम नियमों के नियम में कमी के किसी आदेश की बात नहीं है।

8. मैसर्स पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के मामले में बैंगलोर में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.04.2015।

8.1 विभाग ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है। आदेश में जांचा गया मुद्दा यह था कि क्या पुनर्बीमा एक इनपुट सेवा है जो आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात् बीमा और क्या पुनर्बीमा सेवा पर लिया गया सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि पुनर्बीमा एक वैधानिक दायित्व है और यह बीमा पॉलिसी के साथ सह-टर्मिनस है। बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी जारी करना और फिर उसके द्वारा पुनर्बीमा लेना एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए पुनर्बीमा एक इनपुट सेवा है।

9. मैसर्स SESCOOT शीट मेटल वर्क्स लिमिटेड के संबंध में 2008 के CMA 828 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांक 20.03.2015 का निर्णय।

9.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है। माननीय न्यायालय द्वारा जांचा गया मुद्दा यह था कि क्या अन्याय-समृद्धि राज्य पर लागू होगी सरकारी उपक्रम जिसने अधिसूचना संख्या 111/88-सीई दिनांक 1.3.88 के तहत वापसी के लिए आवेदन किया था। मफतलाल इंडस्ट्रीज मामले में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने [2002-टीआईओएल-54-एससी-सीएक्स सीबी] के रूप में संदर्भित किया कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत राज्य पर लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसी पर भरोसा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि पक्षकारो एक राज्य वित्त पोषित, राज्य नियंत्रित और राज्य निगरानी संगठन है। नागरिक आपूर्ति निगम को माल की आपूर्ति करना, जो राज्य का एक अन्य अंग है। ऐसे माल का पक्षकार उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में किया जाता है।

10. विशेष सिविल आवेदन 13882 13883/2015 में मैसर्स केतन पॉटरी वर्क्स और अन्य के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2016 [2016-TIOL-388-HC-AHM-CX]

10.1 विभाग ने विशेष सिविल आवेदन 13882 13883/2015 में मैसर्स केतन पॉटरी वर्क्स और अन्य के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि 2003 की एसएसआई अधिसूचना संख्या 8 के स्पष्टीकरण खंड (छ) में आने वाला वाक्यांश "और नेपाल" 01.03.2012 से असंवैधानिक है।

10.2 इसमें शामिल मुद्दा यह था कि एसएसआई छूट अधिसूचना संख्या 8/2003 दिनांक 01.03.03 के तहत, स्पष्टीकरण (छ) में प्रावधान किया गया था कि घरेलू खपत के लिए मंजूरी में भूटान और नेपाल को निर्यात के लिए मंजूरी शामिल होगी। भारत और नेपाल के बीच संधि में संशोधन ने नेपाल को निर्यात को किसी अन्य देश को निर्यात के बराबर कर दिया, जो 01.03.12 से प्रभावी है। शब्द "घरेलू खपत के लिए मंजूरी", जिसमें नेपाल और भूटान को निर्यात के लिए मंजूरी शामिल है, को नेपाल को निर्यात के संदर्भ को हटाकर बदला जाना चाहिए था। हालांकि उक्त अधिसूचना में निरीक्षण के कारण संशोधन नहीं किया गया था। माननीय न्यायालय ने माना कि यह स्पष्ट रूप से होगा भेदभावपूर्ण और इसलिए 2003 की एसएसआई अधिसूचना संख्या 8 के स्पष्टीकरण खंड (छ) में दिखाई देने वाले भाग "और नेपाल" को 01.03.2012 से असंवैधानिक घोषित किया गया।

11. बरिजोरीवाला रोलिंग मिल्स प्रा.लि. के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का दिनांक 23.04.2016 का निर्णय। लिमिटेड डीबी सीडब्ल्यूपी नंबर 2/2014 [2016-टीआईओएल 3184-एचसी-राज-सीएक्स] में

11.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने प्री-डिपॉजिट की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत शुल्क या जुर्माना जैसा भी मामला हो सकता है, जैसा कि आदेश दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के रूप में सेस्टेट ने कई अन्य मामलों में एक ही निर्णय सुनाया था।

11.2 निर्धारिती द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी ने सीईएट के निर्देश को चुनौती दी कि सीईए 1944 की धारा 35 च के दूसरे प्रावधान के अनुसार पुष्टि किए गए शुल्क का 50% प्री-डिपॉजिट किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय निर्धारिती को सीईएसटीएटी के समक्ष अपीलों को बहाल करने के लिए मांग का 15% जमा करने का निर्देश दिया, इस तथ्य के आलोक में कि सीईए, 1944 की धारा 35 क को वित्त अधिनियम 2014 द्वारा पहली और बाद की अपील के लिए पूर्व-जमा के रूप में शुल्क का 7.5% और 10% भुगतान को निर्धारित करते हुए संशोधित किया गया था।

भाग द्वितीय

1. फ्लेवेल इंटरनेशनल बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज [2015-TIOL-2230-HC-DEL CX] के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 17.09.2015 का निर्णय

1.1 विभाग ने फ्लेवेल इंटरनेशनल बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज [2015-TIOL-2230-HC-DEL-CX] के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है जहाँ माननीय न्यायालय ने CESTAT अन्य बातों के साथ यह मानते हुए कि विभाग ने प्रतिपरीक्षा के लिए निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और माननीय न्यायालय संतुष्ट था कि गुप्त के मुद्दे पर सेस्टेट के आक्षेपित बहुमत आदेश अपीलकर्ता द्वारा शुल्क के भुगतान के बिना 606 एसी को हटाना गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है और इसलिए, कानून में इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

1.2 मामले में 3 यूनिटों से कंप्रेशर्स की आड़ में एसी की गुप्त निकासी के आरोप की अधिसूचना सं. 75/87-सीई दिनांक 1 मार्च 1987। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। और, गुप्त मामलों में एक निर्धारिती के खिलाफ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभाग से एक निश्चित मानक की अपेक्षा की जाती है। कथित निर्माण के लिए बुनियादी कच्चे माल की खरीद दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 13 2015 [2016-TIOL-88-HC ALL-CX] में सीसीई, लखनऊ बनाम वीके तुलसियान के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2015

2.1 विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 13 2015 में सीसीई, लखनऊ बनाम एक्सवार्डजेड के मामले में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए कि वी.के. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 26 और 27 के तहत निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए उक्त नियमों के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 26 और 27 के तहत सीए, श्री पर जुर्माना लगाने के मामले में। वीके तुलसियान पर उत्पाद शुल्क की चोरी में उकसाने का आरोप लगाया गया था गुटखा निर्माता से जब्त नकदी का झूठा प्रमाण पत्र। माननीय न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी को इस तरह से कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता है ताकि नियम 26 के तहत वर्णित किसी भी अपराध का कमीशन। इसलिए कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल उसे संबंधित के संबंध में बेहतर माना जा सके शामिल नहीं था।

3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 252/2014 [2016-टीआईओएल-503-एचसी-एमयूएम-एसटी] में मैसर्स एसवी छवनी के मामले में बॉम्बे के उच्च न्यायालय का दिनांक 01.02.2016 का निर्णय

3.1 विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 252/2014 में मैसर्स एसवी छवनी के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ तैयार किए गए प्रश्न पर निर्णय लिया था, क्या सेवा कर (मूल्यों का निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2कमें दिए गए विकल्पों का प्रयोग किए बिना इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता था या क्या सेनवैट क्रेडिट का दावा पूरी तरह से दायित्व का निर्वहन करने के बाद किया जा सकता है, जिसने सेवा कर का पूरा भुगतान किया है, राजस्व को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए न्यायालय को एक अकादमिक अभ्यास नहीं करना चाहिए।

3.2 मामले में जिस मुद्दे की माननीय न्यायालय द्वारा जांच की गई वह यह था कि क्या नियम 2क में दिए गए विकल्पों का प्रयोग किए बिना इनपुट सर्विस क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता था। सेवा कर (मूल्यों का निर्धारण) नियम, 2006 कर देयता को पूर्ण रूप से मुक्त करने के बाद। माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया

था कि सेवा कर का पूरा भुगतान करने के बाद, राजस्व में राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए न्यायालय को अकादमिक अभ्यास नहीं करना चाहिए।

4. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर बनाम मेसर्स इंडक्टो स्टील लिमिटेड के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का दिनांक 28.01.2016 का निर्णय

4.1 विभाग ने कर अपील संख्या 126/2016 में आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर बनाम मेसर्स इंडक्टो स्टील लिमिटेड के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने जबकि कृष्णा प्रोसेसर्स बनाम भारत संघ में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री भगवती रोलिंग मिल्स दिनांक 24.11.2015 में अपने फैसले में बरकरार रखा था, विभाग की कर अपील को खारिज कर दिया।

4.2 मामला एमएस इनगॉट्स के निर्माण में लगी मेसर्स इंडक्टो स्टील लिमिटेड द्वारा फर्नेस की वार्षिक क्षमता के दमन से संबंधित है जिसे अधिनियम की धारा 3क के तहत अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 अधिसूचना संख्या 30/1997 दिनांक 01.08.1997 के तहत।

5. तमिलनाडु को-ऑप में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड सीएमए नंबर 3557/2006

5.1 विभाग ने मेसर्स तमिलनाडु को-ऑप टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड के मामले में सीएमए संख्या 3557/2006 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की अनुमति दी थी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क के तहत विस्तारित अवधि की मांग, तथ्यों को छिपाने के आधार पर बनाए रखने योग्य है या नहीं, इस मामले में अपील। एक आदेश की घोषणा करके सीमा के आधार पर शुल्क की मांग की गई थी।

5.2 मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर पक्षकारों की अपील को स्वीकार कर लिया कि हालांकि पक्षकारों को भुगतान के बिना पावरलूम फैब्रिक को संसाधित करने और साफ़ करने की अनुमति नहीं थी। इस तरह की मंजूरी का प्रतिशत कुल मंजूरी का केवल 3.3% था और पक्षकार को इस तरह के कपड़े पावरलूम होने की जानकारी नहीं थी यानी डिलीवरी चालान में इसका उल्लेख नहीं था।

6. रीवा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीए 629/2015 और टीए नंबर 933/2006 के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2016

6.1 विभाग ने टैक्स अपील संख्या 933/2006 में सिविल एप्लीकेशन (ओजे) 629/2015 में मेसर्स रीवा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है।

जहां माननीय उच्च न्यायालय ने 2006 के कर अपील संख्या 933 में आदेश दिनांक 13.01.2015 द्वारा विभाग की अपील को खारिज कर दिया और समीक्षा याचिका को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों और पिछले निर्णय में दर्ज कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारी समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है।

6.2 यह जांच की गई कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क के तहत विस्तारित अवधि की मांग बनाए रखने योग्य है जबकि उसी जांच से पहले से ही एक अलग मांग अलग अवधि के लिए बढ़ा दिया

गया है। गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने निजाम चीनी कारखाने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात पर निर्भर विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

[2006 (197) ईएलटी 465 (एससी)]।

7. अनंत कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) दिनांक 09.05.2016 का निर्णय। लिमिटेड और अन्य आरपी नंबर 131/2016 (सीईए नंबर 11/2010 से उत्पन्न)

7.1 विभाग ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने मौद्रिक सीमा पर विभाग की अपील को खारिज कर दिया था।

7.2 मामले में, निर्धारितियों ने माल के निर्यात के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में अधिसूचना संख्या 41/2007 के अनुसार वापसी का दावा दायर किया। कुछ पर धनवापसी अस्वीकार कर दी गई थी

सेवाओं को इस आधार पर कि वे अधिसूचना संख्या 41/2007 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। आयुक्त (अपील) ने पक्षकारों की अपील को स्वीकार कर लिया और पाया कि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया है। अपील पर माननीय सेस्टेट ने विभाग की अपील खारिज कर दी। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के समक्ष आगे अपील करने पर अपीलों का निपटारा मौद्रिक सीमा पर किया गया।

8. मेसर्स विष्णु एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2015। लिमिटेड और अन्य CEAC 62/2014 में 73-90/2014 के साथ।

8.1 विभाग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है।

8.2 मामले में, निर्धारिती 'विमल' गुटखा/पान मसाला के निर्माता में लगा हुआ था। डीछसीईआई ने दो एससीएन जारी कर उत्पादन को दबाने और गुप्त तरीके से हटाने का आरोप लगाया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उक्त मांगों की पुष्टि की। पक्षकारों की अपील पर, सेस्टेट ने एक आदेश के संबंध में मांग, ब्याज और जुर्माने की पुष्टि की, अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए कि मामला ट्रांसपोर्टर्स द्वारा बनाए गए अस्पष्ट रिकॉर्ड और ट्रांसपोर्टर्स के कर्मचारियों के मौखिक बयानों पर आधारित था। इसलिए ऐसा कोई लिंकेज नहीं था जो यह दर्शाता हो कि परिवहन किए गए माल को वीपीसीएल द्वारा बुक किया गया था और वे विमल ब्रांड के गुटखा के थे और आगे के बयान भी जांच के दौरान वापस ले लिए गए थे। इसके अलावा यह माना गया कि तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें वीपीसीएल से जोड़ने के लिए किसी सकारात्मक सबूत के बिना गुप्त निष्कासन को साबित नहीं किया जा सकता है। उत्पाद की एक छोटी मात्रा पर परीक्षण किया गया था जो उत्पाद की पहचान स्थापित करने के लिए भरोसा करने के लिए असुरक्षित है और किसी भी खरीदार की पहचान नहीं की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा आगे की अपील पर, इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि कानून का कोई पर्याप्त प्रश्न नहीं था और यह भी कि सेस्टेट द्वारा लिया गया विचार रिकॉर्ड पर साक्ष्य के गहन विश्लेषण पर आधारित है और एक प्रशंसनीय है।

9. मुरारी लाल हरीश चंद जायसवाल सीईए नंबर 203/2012 [2016 (333) ई.एल.टी. के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 20.01.2016 का निर्णय। 385 (सभी।) + उच्च न्यायालय का आदेश]

9.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई शामिल कानून का बड़ा सवाल।

9.2 मुद्दा वैधानिक रिकॉर्ड बनाए बिना तंबाकू उत्पादों को गुप्त रूप से हटाने का है। आयुक्त ने निदेशकों पर समान जुर्माने और जुर्माने के साथ 4.96 करोड़ रुपये की मांग की पुष्टि की। अपील पर, सेस्टेट ने आदेश को रद्द कर दिया। विभाग की अपील को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए नहीं उठा था।

10. (क) बरिजोरीवाला रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय। लिमिटेड डीबी सीडब्ल्यूपी नंबर 2/2014 में

(ख) डीबी एक्सएज (एसटी) अपील संख्या 7555/2015 [2016-टीआईओएल-3184-एचसी-राज-सीएक्स] में मैसर्स एम एम ब्रदर्स मामले में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय।

10.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने प्री-डिपॉजिट की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत शुल्क या जुर्माना जैसा भी मामला हो सकता है, जैसा कि आदेश दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के रूप में सेस्टेट ने कई अन्य मामलों में एक ही निर्णय सुनाया था।

10.2 निर्धारिती द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी ने सीईएट के निर्देश को चुनौती दी कि सीईए 1944 की धारा 35 के दूसरे प्रावधान के अनुसार पुष्टि किए गए शुल्क का 50% प्री-डिपॉजिट किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में सेस्टेट के समक्ष अपीलों को बहाल करने के लिए निर्धारिती को मांग का 15% जमा करने का निर्देश दिया तथ्य यह है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 क को वित्त अधिनियम 2014 द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें पहली और बाद की अपील के लिए पूर्व-जमा के रूप में 7.5% और शुल्क के 10% का भुगतान निर्धारित किया गया था।

11. सीडब्ल्यूपी संख्या 3243/2015 में दिनेश सुगंध नागरिक समीक्षा याचिका 133/2016 के मामले में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.09.2016

11.1 विभाग ने राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारिती की अपील को मशीन की अधिकतम गति को 700 पाउच पैकिंग प्रति मिनट के रूप में रखने की अनुमति दी और आगे विभाग को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।

11.2 विभाग द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि आदेश दिनांक 12.04.16 को पारित करते समय किसी भी तथ्य की अनदेखी नहीं की गई थी। अधिसूचना संख्या 42/2007-सीई दिनांक 01.07.2008 के अनुसार संशोधन अधिसूचना संख्या 5/2015-सीई और 06/2015 के जारी होने तक पाउच पैकिंग मशीन की मदद से पान मसाला पाउच के उत्पादन और शुल्क का भुगतान करने से संबंधित मुद्दा -सीई दोनों दिनांक 01.03.2015। विभाग को पुनः निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है मशीनों की पैकिंग गति के आधार पर मासिक शुल्क के दायित्व निर्धारित करने के सहायक आयुक्त के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।

12. माइक्रोटेक फोर्जिंग सीईए नंबर 32/2016 [2016-TIOL-1866-HC-P&H-CX] के मामले में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2016।

12.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने 'मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई' के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर जवाब दिया था। दिल्ली, 2014(307) ईएलटी 625(एससी) और सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम सीसीई जयपुर, 2014 (301) ईएलटी 273 ने विभागीय अपील खारिज कर दी।

12.2 मामले में, सीईएसटीएटी 'मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई दिल्ली, 2014(307) ईएलटी 625(एससी) और सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम सीसीई जयपुर, 2014 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। 301) ईएलटी 273 ने माना था कि प्रतिवादी द्वारा रखी गई बिक्री कर रियायत की राशि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के लिए निर्धारणीय में जोड़ा जाना आवश्यक है। हालांकि CESTAT ने माना कि सीमा की विस्तारित अवधि लागू नहीं होगी। विभागीय अपील का निर्णय करते हुए उच्च कोर्ट ने माना है कि सीईएसटीएटी ने अपने आदेश में देखा है कि परिपत्र दिनांक 30.06.2000 के तहत सीबीईसी ने स्पष्ट किया था कि निर्धारिती द्वारा रखी गई ऐसी राशि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है मूल्यांकन योग्य मूल्य। उपरोक्त आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विचार को नकार दिया था। चूंकि इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं थी, इसलिए निर्धारिती को गलती नहीं कहा जा सकता है, इसलिए विस्तारित अवधि होगी मांग उठाने के लिए उपलब्ध नहीं हो

13. जेसीबी इंडिया लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य और डब्ल्यूपी संख्या 9431/2014 के मामले में सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में डब्ल्यूपी संख्या 2920/2014 में माननीय बॉम्बे के उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014। लिमिटेड बनाम यूओआई।

13.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.09.2014 के अपने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा किया था। मैसर्स अल्फा लवल (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स सैंडविक एशिया प्रा. लिमिटेड

13.2 जिस मुद्दे की जांच की गई वह यह था कि क्या 22.11.2014 से पहले, वैधानिक प्रावधानों ने पक्षकारों को पहले एआईआर ड्रा प्रतिअदायगी बैंक के लाभ का दावा करने और उसके बाद ब्रांड रेट का दावा करने से नहीं रोका था।

14. मैसर्स फैक्ट पेपर मिल लिमिटेड, मोढ़ी के मामले में विभाग की कर अपील संख्या 1274/2014 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2014

14.1 विभाग ने मेसर्स फैक्ट पेपर मिल लिमिटेड, मोढ़ी के मामले में विभाग की कर अपील संख्या 1274/2014 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 02.12.2014 के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में कानून का कोई सवाल ही नहीं उठता।

14.2 इस मुद्दे पर, निर्धारिती पेपर और पेपर बोर्ड का निर्माण करता था। गुप्त रूप से हटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इकबालिया बयान के आधार पर मांग की पुष्टि की गई। CESTAT ने यह देखते हुए पक्षकारों की अपील की अनुमति दी कि इकबालिया बयानों को वापस ले लिया गया था और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा वापसी का निपटारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्थापित क्षमता घोषित उत्पादन से अधिक किसी भी उत्पादन को उचित नहीं ठहराएगी। विभागीय ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसमें कहा गया कि कानून का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है मामला और इसलिए अपील खारिज कर दी।

15. कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, नोएडा बनाम मैसर्स सिल्वर ओक लेबोरेटरीज प्रा. और ओर्स

15.1 विभाग ने आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा बनाम मैसर्स सिल्वर ओक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 276/2006 में पारित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 11.09.2014 के आदेश को स्वीकार कर लिया है। एवं अन्य जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विभाग के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण गलत है और तत्काल मामले में लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 57ड नहीं है।

15.2 मामले में अपीलकर्ता कॉस्मेटिक तैयारियों का निर्माण करता है। निपटान आयोग ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127 ख के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेते हुए अंतर सीवीडी के भुगतान के लिए आदेश दिया और यह भी निर्देश दिया कि डीआरआई एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ऐसी अंतर राशि के भुगतान का संकेत जिसके आधार पर अपीलकर्ता उसके सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा सकता है। डीआरआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की वैधता पर नोएडा कमिश्नरी ने सवाल उठाया था। CESTAT ने क्रेडिट की अनुमति दी। HC ने विभाग की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निपटान आयोग के आदेश के परिणामस्वरूप DRI द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र पूरी तरह से कानूनी है और माना कि सेनवैट क्रेडिट नियम का नियम 57ड तत्काल मामले में लागू नहीं है।

16. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ बनाम मेसर्स पैरामाउंट पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील प्रतिअदायगी संख्या 1/2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.01.2014।

16.1 विभाग ने आयुक्त के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील प्रतिअदायगी संख्या 1/2015 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 13.01.2014 के निर्णय को स्वीकार कर लिया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ बनाम मेसर्स पैरामाउंट पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 06.03.2014 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। इसने आगे कहा कि अपील विफल हो जाती है और इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया जाता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने के भीतर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले को अंतिम रूप से तय करने का प्रयास करेगा।

16.2 मामले में निर्धारिती कीटनाशकों के निर्माण में लगा हुआ है। इसमें शामिल मुद्दा यह था कि क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ग(2क) में तीसरे परंतुक के सम्मिलित होने के बाद से प्रभावी 10.5.2013, खंड में निर्धारित निर्दिष्ट अधिकतम समय सीमा से अधिक स्थगन देने में न्यायाधिकरण सही था। निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा नहीं किया गया था केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 8(3क) के अनुसार निर्धारित समय सीमा, शेष शुल्क का भुगतान विस्तारित एक महीने की समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए जो पक्षकारों करने में विफल रही। द्वारा मूल दिनांक 17.5.2012 में आदेश की मांग की पुष्टि की गई, जिसके खिलाफ पक्षकारों ने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने स्टे दे दिया और अगले आदेश तक इसे बढ़ा भी दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए विभागीय अपील को खारिज कर दिया कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

17. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ठाणे-॥ बनाम ब्राइट ब्रदर्स के मामले में सीईए संख्या 65/2005 में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 11.03.2015 का आदेश।

17.1 विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ठाणे-द्वितीय बनाम ब्राइट ब्रदर्स के मामले में सीईए संख्या 65/2005 में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 11.03.2015 के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल का आदेश कि धारा 11कग के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि धारा 11कग के लिए आवश्यक सामग्री गायब हैं और साथ ही निर्णय आदेश धारा 11कग की सामग्री के संदर्भ में एक स्पष्ट निष्कर्ष देने में विफल रहता है।

17.2 मामले में निर्धारिती मोटर वाहन के प्लास्टिक मोल्डेड घटकों का निर्माता है और कथित तौर पर माल का कम मूल्यांकन करता है। मांग की पुष्टि की गई और धारा के तहत जुर्माना लगाया गया। 11कग ने देखा कि ट्रिब्यूनल के दो परस्पर विरोधी आदेश थे और मामले को म्यूचुअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम CCE [2000 (117) E.L.T. के मामले में एक बड़ी बेंच द्वारा हल किया गया था। 578 (ट्राई।)] जहां यह माना गया था कि जब तक तैयार उत्पाद के निर्माण में मोल्ड का उपयोग किया जा रहा है, तब तक यह तैयार उत्पादों के मूल्य में जोड़ा जाने वाला कुछ मूल्य योगदान देता है। उत्पाद शुल्क कानून के तहत तैयार उत्पाद पर देय शुल्क का आकलन करने में यह अतिरिक्त मूल्य अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। निर्धारिती की अपील पर, ट्रिब्यूनल ने धारा 11कग के तहत लगाए गए दंड को रद्द कर दिया और मामले को शुल्क के पुनः परिमाणीकरण के लिए भेज दिया। विभाग ने को खारिज करते हुए चुनाव लड़ा दंड। एचसी ने देखा कि दंड प्रावधानों को अनिवार्य कहा जा सकता है, लेकिन धारा 11कग के संदर्भ में संतुष्टि से पहले लागू होना चाहिए। एक बार जब संदेह का मनोरंजन करने की गुंजाइश थी, और कोई जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन नहीं है, तो दंड की मांग नहीं की जाती है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं पाया, एक बयान को छोड़कर, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यह एक दमन का मामला था।

18. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, राजकोट बनाम मैसर्स मेजर सीमेंट प्रा. लिमिटेड

18.1 विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के मामले में कर अपील संख्या 1230/2014 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2014 के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और सीमा शुल्क, राजकोट बनाम मैसर्स मेजर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की कर अपीलों को खारिज कर दिया और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को इस आधार पर बरकरार रखा कि परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.05.2008 अविश्वसनीय थी और विभाग द्वारा भरोसा किए गए व्यक्तियों के बयानों की जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

18.2 जाली चालानों के आधार पर 'पेट कोक' की प्राप्ति के बिना, सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ पर एससीएन जारी किए जाने के मामले में। एससीएन ने 26.04.08 को नमूने निकालने का संकेत दिया था लेकिन एससीएन को जारी शुद्धिपत्र में इस संदर्भ को हटा दिया गया था। विभाग ने एक निष्प्रयोगशाला से 03.05.08 को लिए गए नमूनों की रिपोर्ट पर भरोसा किया कि माल पेट कोक के विनिर्देशों की पुष्टि नहीं करता है। ट्रिब्यूनल ने माना कि नमूने सही ढंग से तैयार नहीं किए गए थे और इस प्रकार परीक्षण रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के बयानों पर भरोसा किया गया था, उनकी जिरह उच्च न्यायालय ने CESTAT के फैसले को स्वीकार किया और विभागीय अपील खारिज की अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी गई थी।

19. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-1 बनाम कुबेर तम्बाकू उत्पाद (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य के मामले में सीईएसी संख्या 6/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 28.01.2015 का निर्णय पारित

19.1 विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-1 बनाम कुबेर तम्बाकू उत्पाद (प्रा.) लिमिटेड और अन्य के मामले में सीईएसी संख्या 6/2015 में पारित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 28.01.2015 के आदेश को

स्वीकार कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि विभाग की अपील में कानून शामिल होने का कोई प्रश्न नहीं था और यह निराधार था और इसलिए निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

19.2 मामला तंबाकू उत्पादों के गुप्त निर्माण और निकासी से संबंधित है। आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती की अपील को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि राजस्व ब्रांड के स्वामित्व और निर्माण इकाई के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। सेस्टेट ने अपीलीय आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जांच के दौरान कुछ व्यक्ति सामने आए हैं और उक्त सामान के स्वामित्व का दावा किया है। उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील खारिज कर दी।

20. मैसर्स डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, एलटीयू, नई दिल्ली के मामले में सीईएसटी संख्या 13/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2015 पारित

20.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने सीईएसटी संख्या 13/2015 में निर्धारिती की अपील को खारिज करते हुए अनुमति दी थी CESTAT का आदेश और CESTAT को गुण के आधार पर मामले का फैसला करने का निर्देश देना। मामले में, सीईएसटीएटी ने स्थगन आदेश संख्या 50233/2015-ईएक्स (डीबी) दिनांक 20.01.2015 द्वारा निर्धारिती को निर्देश दिया कि धारा 35च के प्रावधान के अनुपालन के लिए 8 सप्ताह की अवधि के भीतर 5 करोड़ रुपये की राशि जमा करें।

20.2 आयुक्त ने शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग की जाने वाली सेस्टेट इनपुट सेवाओं के अलग-अलग खातों के गैर-रखरखाव की मांग की पुष्टि की।

निर्धारिती को 8 सप्ताह के भीतर पूर्व जमा करने का निर्देश दिया। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे गुण के आधार पर मामले को तय करने के लिए सीईएसटीएटी को निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था।

21. मैसर्स मगलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, भरूच के निदेशक मैसर्स भारत भाई अजितराय दोशी के मामले में 2007 की टैक्स अपील संख्या 761 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2015

21.1 विभाग ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां यह माना गया था कि कर अपील अनुरक्षणीय नहीं है और सीईएसटीएटी और माननीय उच्च न्यायालय दोनों सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (त) के तहत जब्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि अधिसूचना संख्या 205/84 को "सिंथेटिक यार्न" की अधिसूचना संख्या 5/93-सीमा शुल्क (एनएस) दिनांक 15.1.1993 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV क का 11ख। धारा के तहत अधिसूचित माल घोषित करते हुए संशोधित किया गया था।

21.2 मामले में, पीओवाई को विभिन्न डीईईसी पुस्तकों और बिल ऑफ एंट्री के कवर के तहत एडवांस इंटरमीडिएट ट्रांसफरेबल लाइसेंस के माध्यम से खरीदा गया था और कथित तौर पर उक्त यार्न को कथित तौर पर बेचा गया था।

निर्यात दायित्वों को पूरा किए बिना खुला बाजार। CESTAT ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (त) के तहत जब्ती को अधिसूचना संख्या के बाद से बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अधिसूचना सं. 5/93-सीमाशुल्क (एनएस) दिनांक 15.01.1993। इसलिए अपीलकर्ता पर लगाए गए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के तहत दंड को एस.एस. गुप्ता बनाम सीसी [2001 (132) ईएलटी.441 (ट्राई.डेल)] के मामले में निर्णय

के अनुसार बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार अनुमति दी गई है पक्ष द्वारा दायर की गई अपील के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने अपील विभाग के रखरखाव योग्य होने के कारण खारिज कर दी।

22. मैसर्स कौशल सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय दिनांक 30.03.2015। लिमिटेड

22.1 विभाग ने मेसर्स कौशल सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के दिनांक 30.03.2015 के आदेश को स्वीकार कर लिया है। लिमिटेड जहां माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था, इसलिए सेस्टेट के आदेश में कोई हस्तक्षेप जरूरी नहीं था।

22.2 मामले में विभिन्न निर्धारितियों और ग्रे फैब्रिक आपूर्तिकर्ताओं के बिलों की आपूर्ति करके ग्रे फैब्रिक की कीमत बढ़ा दी गई थी, जो नकली या अस्तित्वहीन पाए गए थे। यह फुलाया ग्रे कीमत के परिणामस्वरूप प्रोसेसर द्वारा अतिरिक्त डीमंड क्रेडिट का लाभ उठाया गया, जिसने बदले में निर्यातकों को अनुचित लाभ दिया। पक्षकारों द्वारा दायर अपील में, सेस्टेट ने माना कि प्रसंस्करण इकाइयों को ग्रे फैब्रिक के ओवर इनवॉइसिंग का ज्ञान नहीं था और उनके खिलाफ दमन का आरोप टिकाऊ नहीं है और सीमा की विस्तारित अवधि नहीं हो सकती है आह्वान किया। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील का निर्णय करते हुए कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया विचार न तो असंभव है और न ही विकृत है। चूंकि इस मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कानून उत्पन्न हुआ इसलिए अपील खारिज कर दी गई।

23. मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वीडियोकॉन हाउस, चावाज, भरूच के मामले में 2008 की टैक्स अपील संख्या 816 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.03.2015

23.1 विभाग ने मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीडियोकॉन हाउस, चावाज, के मामले में टैक्स अपील संख्या 816, 2008 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। भरूच जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कर अपील संख्या 816/2008 को खारिज कर दिया और इस प्रकार सेस्टेट आदेश दिनांक 23.10.2007 की पुष्टि की।

23.2 अंतिम उत्पाद के नष्ट होने पर शुल्क में छूट और ऐसे अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर लिया गया क्रेडिट शामिल था। माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया सीसीई अहमदाबाद-द्वितीय बनाम इंटॉस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड [2013(289) ईएलटी 256 (गुजरात)] में अपने पहले के निर्णय पर निर्भर विभागीय अपील माननीय न्यायालय ने माना कि छूट आवेदन 09.05.2000 को दायर किया गया था, जबकि यह नियम 3(5ग) 7.9.2007 से लागू हुआ था।

24. फैक्ट्री नंबर 667, रोड नंबर 9 (एफ) (2), वीकेआई एरिया, जयपुर के पीछे मैसर्स शंकर प्रोडक्ट्स के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर दिनांक 26.02.2015 का निर्णय।

24.1 विभाग ने फैक्ट्री नंबर 667, रोड नंबर 9 (एफ) (2), वीकेआई एरिया, जयपुर के पीछे मेसर्स शंकर प्रोडक्ट्स के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश को स्वीकार कर लिया है। जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और सीईएसटीएटी के फैसले को बरकरार रखा जहां सीईएसटीएटी ने कहा कि जहां विभाग को ज्ञान था और जारी किया था इसी आधार पर पूर्व में नोटिस दिए जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दमन हुआ था।

24.2 विभाग ने दिनांक 28.08.08 को एक एससीएन जारी कर अप्रैल 2004 से जून 2008 की अवधि के लिए शुल्क की मांग करते हुए इस आधार पर विस्तारित अवधि का आह्वान किया कि अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रक्रिया निर्माण के बराबर है और उन्होंने विभाग से संबंधित तथ्यों को छुपाया था। उन्हीं तथ्यों के आधार पर जुलाई 2008 से 4.12.2008 तक की अवधि के लिए एक और एससीएन था 6.7.2010 को फिर से विस्तारित अवधि को लागू करते हुए जारी किया गया, जो कि निजाम चीनी कारखाने (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए अनुमेय नहीं है। उच्च न्यायालय, राजस्थान विभागीय अपील को खारिज कर दिया।

25. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-1 बनाम मेसर्स एंबीसी कंसोलिडेटेड एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में सीईएसी संख्या 2/2015 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.04.2015

25.1 विभाग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-1 बनाम मेसर्स एंबीसी के मामले में सीईएसी संख्या 2/2015 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2015 के आदेश को स्वीकार कर लिया है। समेकित उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जहां माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था।

25.2 निर्धारिती एसएस इनगॉट्स का निर्माता था। फैक्ट्री में तैयार माल का बेहिसाब स्टॉक मिला। एससीएन जारी किया गया था और मांग की पुष्टि की गई थी। निर्धारिती की अपील में CESTAT डी.पी. के मामले में अपने पहले के फैसले का पालन किया। उद्योग जो इन गुपचुप तरीके से एसएस इनगॉट्स को फ्लैट में तब्दील करते थे और ऐसे फ्लैटों को भी चोरी-छिपे साफ कर देते थे। के मामले में सबूत निर्धारिती और डीपी उद्योग समान थे। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राजस्व की शिकायत केवल की सराहना के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्षों से संबंधित है प्रमाण। यह विवादित नहीं है कि गुप्त रूप से हटाने और निर्धारिती पर लगाए जाने की मांग की गई देयता के संबंध में, दो इकाइयों अर्थात् निर्धारिती और डी.पी. उद्योग आम थे।

26. सीसीई, राजकोट बनाम मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जामनगर के मामले में 2015 की टैक्स अपील संख्या 381 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2015

26.1 विभाग ने सीसीई, राजकोट बनाम मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जामनगर के मामले में कर अपील संख्या 381 2015 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स बनाम भारत संघ, (2011) 10 एससीसी 292 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित विभागीय अपील को खारिज कर दिया।

26.2 मामले में, निर्धारिती के रिफंड दावों को एसी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि डी-3 सूचनाएं उचित नहीं थीं। सीईएटी ने अपने आदेश दिनांक 13.08.2003 में आदेश दिया कि डी-3 सूचनाएं उचित थीं और नियम 173-ठ के प्रावधानों को पूरा किया गया था, इसलिए निर्धारिती की ओर से कोई कमी नहीं थी। विभाग द्वारा CESTAT के आदेश को स्वीकार कर लिया गया था और रिफंड स्वीकृत था। निर्धारिती ने रिफंड दावा दाखिल करने की तारीख से 74 लाख रुपये के ब्याज का दावा किया। रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ के मामले में ट्रिब्यूनल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया भारत [2011-टीआईओएल-105-एससी-सीएक्स] जहां यह माना गया है कि कानून ब्याज का भुगतान करता है आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति की तारीख से शुरू होता है न कि निर्णय से। अतः विभागीय अपील खारिज की जाती है।

27. माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2014 मेसर्स बजरंग कास्टिंग्स प्रा. लिमिटेड और पांच अन्य 2014 की टैक्स अपील संख्या 824 में

27.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 03.09.2014 के आदेश को मेसर्स बजरंग कास्टिंग्स प्रा. लिमिटेड और पांच अन्य 2014 की टैक्स अपील संख्या 824 में जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि इस मामले में कानून का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए सेस्टेट के निर्णय में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

27.2 मामले में आरोप वास्तव में माल प्राप्त किए बिना चालान पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने का था। साथ ही एमएस. सिल्लियों के निर्माण में गैर-सीएनवीएटेल बाजार स्कैप का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के अनियमित क्रेडिट का इस्तेमाल पीएलए से शुल्क के भुगतान से बचने के लिए कानूनी मंजूरी के भुगतान के लिए किया गया था। CESTAT ने आदेश दिया कि मांगें ट्रांसपोर्टों के बयानों पर आधारित थीं या ट्रकों के चालक जिनकी किसी भी साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई थी। प्रेषकों के स्थान पर या उस स्थान पर जहां कथित माल की आपूर्ति किए जाने का आरोप है, कोई जांच नहीं की गई थी। ठोस सबूत के अभाव में मांग टिकाऊ नहीं है। विभागीय अपील का निर्णय करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीईएसटीएटी द्वारा दर्ज निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है और कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठता है।

28. सीसीई कानपुर बनाम मेसर्स रजत इंडस्ट्रीज के मामले में 2015 के सीईए संख्या 181 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय।

28.1 विभाग ने सीसीई कानपुर बनाम मेसर्स रजत इंडस्ट्रीज के मामले में सीईए संख्या 181 2015 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया है जिस में कानून का बड़ा सवाल शामिल था।

28.2 मामले में पक्षकार, पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क वसूली नियमावली, 2008) के तहत कार्य कर रही थी। इसने उस अवधि के लिए पीएमपीएम नियमों के नियम 10 के संदर्भ में एक कमी का दावा स्वीकृत किया जब पाउच पैकिंग मशीनें निलंबित रहीं। विभाग ने तर्क दिया कि पीएमपीएम नियमों के नियम 10 के अनुसार और उत्पादन बंद करने की सूचना ऐसे उत्पादन को बंद करने से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले दर्ज करना अनिवार्य है, इस मामले में शर्त पूरी नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने देखा कि विभाग उचित सूचना के बाद परिसर में पहुंच गया था और इकाई को सील कर दिया था। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था, इसलिए विभागीय अपील खारिज कर दी गई थी।

29. सीसीई नोएडा बनाम मेसर्स मत्सुशिता टेलीविजन एंड ऑडियो इंडिया लिमिटेड, नोएडा के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (प्रतिअदायगी) अपील संख्या 01/2005 में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.08.2015

29.1 विभाग ने सीसीई नोएडा बनाम मेसर्स मत्सुशिता के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (प्रतिअदायगी) अपील संख्या 01/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 25.08.2015 के आदेश को स्वीकार कर लिया है। टेलीविजन एंड ऑडियो इंडिया लिमिटेड, नोएडा जहां माननीय उच्च न्यायालय ने बिल ऑफ एंटी की फोटोकॉपी पर सेनवैट क्रेडिट लेने से जुड़े मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि कारखाने में इनपुट तीन प्रतियों के कवर के तहत प्राप्त हुए थे। प्रविष्टि के बिल का, जो बाद में गलत हो गया था, इसलिए निर्धारिती के तर्क को सही ठहराया।

29.2 मामले में, निर्धारिती को बिल ऑफ एंटी की ट्रिपल कॉपी के तहत शुल्क भुगतान किया गया माल प्राप्त हुआ, जो गलत था। मोडवैट क्रेडिट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी बिल ऑफ एंटी के आधार पर लिया गया था। विभाग

ने तर्क दिया कि नियम 57छ के उप नियम (3) के खंड (ग) के तहत आवश्यक प्रविष्टि के बिल की तीन प्रतियों को बाद में निर्धारिती द्वारा विरूपण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। ट्रिब्यूनल ने क्रेडिट होल्डिंग को अनुमति दी कि उक्त दस्तावेज सत्यापन योग्य था। विभागीय अपील में HC ने CESTAT के फैसले को बरकरार रखा।

30. सीसीई, राजकोट बनाम मैसर्स रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड, जामनगर के मामले में 2015 की टैक्स अपील संख्या 363 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय।

30.1 विभाग ने सीसीई, राजकोट बनाम मैसर्स रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड, जामनगर के मामले में 2015 की टैक्स अपील संख्या 363 में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित प्रश्न कारण बताओ नोटिस का विषय नहीं थे और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से उत्पन्न नहीं होते हैं।

30.2 मामले में, सीईआरए ने "परामर्श अभियंता" और "बैंकिंग सेवाओं" आदि के प्राप्तकर्ता के रूप में धारा 66क के तहत भुगतान किए गए सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ की ओर इशारा किया, जो कथित तौर पर "इनपुट सेवाएं" नहीं थीं। यह भी आरोप लगाया गया था कि पूंछगत वस्तुओं पर उनकी वास्तविक स्थापना से पहले क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। कमिश्नर ने डिमांड छोड़ दी। विभाग दायर CESTAT और बाद में HC के समक्ष अपील। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह माना गया था कि एससीएन ने निर्धारिती को कारण दिखाने के लिए रखा था कि क्या सेवाएं "इनपुट सेवाएं" हैं या क्या पूंछ माल का उपयोग "उत्पादन सेवाएं" प्रदान करने के लिए किया जाता था। अपील खारिज कर दी गई।

31 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नोएडा बनाम मैसर्स दामिनी प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड, नोएडा।

31.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 11.08.2015 दिनांक 11.08.2015 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 662/2012 में) के मामले में आदेश को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नोएडा बनाम मैसर्स दामिनी प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड, नोएडा जहां माननीय उच्च न्यायालय ने मौद्रिक सीमा पर विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

31.2 मामले में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना अपील के लिए मौद्रिक सीमाओं के आधार पर विभाग की अपील को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर आयुक्त आईटी बनाम सुमन धमीजा - 2015 (325) ईएलटी 11 के मामले में एससी (SC) ने माना कि मौद्रिक नीति पूर्वव्यापी नहीं है। हालांकि कर्नाटक और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने भी SC के फैसले को इस प्रभाव से अलग किया है कि यह आईटी मामलों पर भी लागू होता है जहां नीति विशेष रूप से इस आशय के साथ है कि उक्त नीति - 2014(306)ईएलटी153 (गुजरात), 2011(268) ईएलटी 344 (कर) की तारीख से पहले दायर मामलों को नियंत्रित नहीं करेगा।

32. मैसर्स विष्णु पाउच पैकिंग प्रा. लि. के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय। लिमिटेड 2015 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12154 में

32.1 विभाग ने मैसर्स विष्णु पाउच पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। लिमिटेड 2015 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12154 में जहां

माननीय उच्च न्यायालय ने वीपीपीएल संख्या 12154/2015 द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदन की अनुमति दी जिसमें वीपीपीएल की विभिन्न इकाइयों को डीछसीईआई द्वारा जारी संचार दिनांक 30.06.2015 में निहित

निर्णयों और निर्देशों को रद्द करने या रद्द करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई थी। और पीएमपीएम नियमों के नियम 5 के तहत प्रासंगिक अवधि के लिए कारखाना परिसर में स्थापित और संचालित पीपीएम की उत्पादन क्षमता तय की।

32.2 मामले में, अंतर शुल्क (पान मसाला पर उत्पादन आधारित शुल्क) की वसूली, न कि उचित एससीएन के माध्यम से सीई अधिनियम की धारा 11ए के तहत वसूली की जांच की गई थी और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया था। पक्षकारों के विशेष सिविल आवेदन ने इस आशय की अनुमति दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, उक्त पत्रों को रद्द कर दिया और विभाग को पीएमपीएम नियम और सीई अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी।

33. मामलों (क) सीसीई, नोएडा बनाम मेसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, (ख) सीसीई, नोएडा बनाम 2015 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 251-256 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2015 श्री चिरंछव रॉय चौधरी, (च) सीसीई बनाम राछव कुमार (घ) सीसीई, नोएडा बनाम श्री नरेश धीर € सीसीई, नोएडा बनाम श्री जेडी देसाई और (एफ) सीसीई, नोएडा बनाम श्री अमित सिंघई।

33.1 विभाग ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था।

33.2 कोर्ट ने विभाग की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ट्रिब्यूनल ने पाया है कि तकनीकी साहित्य के अनुसार पाउच पैकिंग मशीन सिंगल ट्रेक वाली डुप्लेक्स मशीन थी। इस नवाचार के साथ कि एक ही लाइन पर, एक समय में, दो पाउच काटे और भरे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन होता है और यह कि शुल्क प्रति पाउच पैकिंग मशीन प्रति माह है न कि वास्तविक संख्या पर उत्पादित पाउच की।

34. विविध में मेसर्स श्री राम मल्टी-टेक लिमिटेड के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय। कर अपील संख्या 896/2011 में सिविल आवेदन (ओजे) संख्या 199/2012।

34.1 विविध में मेसर्स श्री राम मल्टी-टेक लिमिटेड के मामले में विभाग ने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है। कर अपील संख्या 896/2011 में सिविल आवेदन (ओजे) संख्या 199/2012 जहां माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि राजस्व अधिकारियों को पहले से लिए गए क्रेडिट को वापस करने की अनुमति देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, लागू करने का प्रश्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 21 के अनुसार शुल्क में छूट प्रदान करते समय उलटने की कोई शर्त निश्चित रूप से उत्पन्न नहीं होगी।

34.2 मुद्दा यह था कि क्या अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट की वापसी की आवश्यकता है जब इस तरह के अंतिम उत्पाद को नष्ट कर दिया गया था और शुल्क की छूट की भी अनुमति थी। कोर्ट ने 29.08.12 के अपने आदेश में कहा कि 7 सितंबर, 2007 से पहले लिए गए क्रेडिट के उलट होने की कोई गुंजाइश नहीं थी [सीसीआर के नियम 3 के उप-नियम (5 ग) की शुरुआत की तारीख] अगर तैयार उत्पाद मानव के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। खपत, जब तक कि नियम 21 के संदर्भ में शुल्क की छूट के लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई है, यह स्पष्ट करता है कि पहले से लिया गया क्रेडिट वापस किया जाना है। विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका में दिनांक 29.08.12 के पूर्व निर्णय के इटैलिक/रेखांकित भाग को हटा दिया गया है।

35. सीईए संख्या 33/2014 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय सेवा कर आयुक्त, बेंगलोर बनाम मैसर्स वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड के मामले में।

35.1 विभाग ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के सीईए संख्या 33/2014 में सेवा कर आयुक्त, बेंगलोर बनाम मैसर्स वोडाफोन एस्सार साउथ के मामले में आदेश स्वीकार कर लिया है। लिमिटेड जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया क्योंकि यह देखने के बाद कि शीर्ष अदालत द्वारा दायर की जाने वाली अपील में सवाल का फैसला किया जाना है। अधिनियम की धारा 35 ठ (ख) और अधिनियम की धारा 35 छ के तहत इसके द्वारा नहीं।

35.2 मामले में, पक्षकारों ने एक विदेशी दूरसंचार ऑपरेटर को प्रदान की गई सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर के लिए वापसी का दावा दायर किया ताकि उक्त विदेशी दूरसंचार ऑपरेटर के ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय इनबाउंड रोमिंग सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। उक्त रिफंड के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अधिसूचना संख्या 36/2007-एसटी दिनांक 15.06.2007 आने से पहले एसटी का भुगतान किया गया था गुणों पर मुद्दों के अलावा, उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि इसमें अधिसूचना की व्याख्या शामिल थी।

36. मैसर्स शक्ति शुगर्स लिमिटेड के मामले में सीईएसटीएटी के अंतिम आदेश संख्या 479/2008 दिनांक 14.05.2008 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर मामले में सीएमए संख्या 4050/2008 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, अप्पाकुदल, भवानी तालुक और आदेश मैसर्स शक्ति शुगर्स लिमिटेड, अप्पाकुदल, भवानी तालुक के मामले में सीईएसटीएटी के अंतिम आदेश संख्या 802/2007 दिनांक 26.06.2007 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर मामले में सीएमए संख्या 1570/2009 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय

36.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने विभाग की अपील का निपटारा नहीं किया था, यह देखते हुए कि शीर्ष न्यायालय द्वारा दायर की जाने वाली अपील में प्रश्न का निर्णय किया जाना है अधिनियम की धारा 35 ठ (ख) के तहत और अधिनियम की धारा 35 छ के तहत नहीं और इस प्रकार विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ मामले का निपटारा किया।

36.2 मामले में आरोप था कि शीरे पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जो के निर्माण में कारखाने में कैप्टिव रूप से खपत किया गया था, अधिसूचना संख्या 67/95-सीईस्पिरिट / रेक्टिफाइड स्पिरिट जो गैर-उत्पाद शुल्क योग्य है, दिनांक 16.03.95 के तहत छूट का गलत दावा करके, क्योंकि शीरे का उपयोग तटस्थ निर्माण के लिए किया गया था। उक्त अधिसूचना के तहत छूट उपलब्ध है जहां अंतिम उत्पाद शुल्क योग्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला देय शुल्क की दर से संबंधित है, लेकिन अधिसूचना के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जानी चाहिए। अतः विभागीय अपील खारिज की जाती है।

37. मैसर्स वडापलानी प्रेस के मामले में 2007 के सीएमए नंबर 2424 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2014।

37.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि विचाराधीन मुद्दा क्या होगा देय शुल्क की दर, लेकिन विचाराधीन अधिसूचना के लिए और यह माना गया कि यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 छ के तहत चलने योग्य नहीं है और पूर्वगामी कारणों से विचार के लिए उठाए गए कानून के प्रश्न के गुण में नहीं गया।

37.2 इस मामले में फॉर्म एच बिक्री की आड़ में की गई मंजूरी के खिलाफ अधिसूचना संख्या 8/2003-सीई दिनांक 01.03.2003 के तहत एसएसआई छूट का गलत लाभ लेने का आरोप शामिल था। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को खारिज कर दिया क्योंकि शुल्क की दर और अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए।

38. मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12. 2014 सीएमए नंबर 68/2009 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मेसर्स एचसीएल पेरिफेरल्स के मामले में

38.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामला शुल्क की दर से संबंधित है जो कि प्रतिवादी (एचसीएलपी) लेकिन निम्नलिखित निर्णयों के आधार पर विचाराधीन अधिसूचना के लिए, अर्थात्:

(i) नवीन केमिकल्स मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, 1993 (68) ELT3 (SC)।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वडापलानी प्रेस (2014-TIOL-2208-HC-MAD-CX) ने माना कि वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है और विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

38.2 मामले में, सीईटीए, 1985 के सीटीएच 84710000 के तहत कियोस्क को वर्गीकृत करने और कंप्यूटर पर लागू छूट लाभ प्राप्त करने के आरोप की जांच की गई। विवाद यह है कि क्या कियोस्क को स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन और उसकी इकाइयों के लिए सौंपे गए सीटीएच 84710000 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और क्या कियोस्क अधिसूचना के तहत शुल्क की पूर्ण छूट के लिए पात्र हैं। क्रमांक 23/2004 दिनांक 09.07.2004 या नहीं। चूंकि मुद्दा शुल्क या मूल्यांकन की दर से संबंधित है, माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ विभागीय अपील को खारिज कर दिया।

39. अंतिम आदेश संख्या 1425/2005, दिनांक 07.10.2005 के विरुद्ध मेसर्स एमके अलॉयज (प्रा.) लिमिटेड द्वारा दायर सीएमए संख्या 463/2007 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2014 माननीय सेस्टेट, चेन्नई

39.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि अपील संख्या ई/158/2007 में अंतिम आदेश संख्या 410/07 में किए गए ट्रिब्यूनल दिनांक 16.04.2007 के आदेश के अनुसार अपील आंशिक रूप से रिमांड के माध्यम से स्वीकार की जाती है

39.2 मुद्दा गैर-मिश्र धातु इस्पात के इन्गॉट्स और बिलेट्स के निर्माण से संबंधित है, जिसके लिए पक्षकारों को कंपाउंड लेवी योजना के तहत शुल्क का भुगतान करना था, जैसा कि उक्त माल के तहत अधिसूचित किया गया था। वह योजना 01.08.1997 से प्रभावी थी और उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क का निर्वहन किया जाना था। दो एसीपी आदेश (दिनांक 16.09.1997 और 09.07.1998) फिक्सिंग जारी किए गए थे। पक्षकारों ने देय शुल्क दायित्व का निर्वहन नहीं किया और इसलिए विभिन्न अवधियों के लिए 6 एससीएन जारी किए गए। एक एससीएन दिनांक 04.05.1998 के एसीपी आदेश पर आधारित था और शेष पांच 09.07.1998 को जारी एसीपी आदेशों पर आधारित थे। आयुक्त ने कर्तव्य की पुष्टि करने वाले सभी छह मामलों का न्यायनिर्णय किया। अपील पर सेस्टेट ने मांग को बरकरार रखा।

39.3 बाद में एसीपी आदेश दिनांक 16.09.1997 को निर्धारिती द्वारा चुनौती दी गई और सेस्टेट ने अपने अंतिम आदेश में रिमांड के माध्यम से अपील की अनुमति दी। सेस्टेट आदेश के विरुद्ध जिसमें द्वारा मांग की गई है विभाग को कानून में टिकाऊ पाया गया, मद्रास एचसी में अपील दायर की गई। एचसी ने कहा कि ट्रिब्यूनल, एससीएन द्वारा दिनांक 04.05.1998 के आधार पर पारित आदेश के परिणामस्वरूप एसीपी आदेश दिनांक 16.09.1997 पर फिर से काम करना होगा और उचित एसीपी आदेश पारित होने के बाद ही एससीएन जारी करना आवश्यक है

40. मेसर्स बीईएमएल और अन्य के खिलाफ विभाग द्वारा दायर मामले में सीईए नंबर 58/2014 और सीईए नंबर 03-05/2015 में बैंगलोर में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.04.2015

40.1 विभाग ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, विभागीय अपील को खारिज कर दिया।

40.2 अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाले माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयता का मामला शामिल था। 29.04.11 जैसा कि वित्त अधिनियम 2011 में लगाया गया था। निर्धारिती ने 01.04.2011 से शुल्क का भुगतान किया, लेकिन 29.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया। विस्तारित अवधि के तहत राजस्व द्वारा जारी एससीएन जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा अलग रखा गया था क्योंकि कोई दमन शामिल नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को खारिज कर दिया क्योंकि कानून का कोई प्रश्न शामिल नहीं था।

41. मेसर्स श्री के मामले में सीईए संख्या 41/2015 में माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2015। चैतन्य शैक्षिक समिति, पोरांकी, विजयवाड़ा।

41.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय अपील को खारिज कर दिया और सेस्टेट आदेश की पुष्टि की।

41.2 इसमें शामिल मुद्दा कर योग्य सेवा, अर्थात् वाणिज्यिक कोचिंग और प्रशिक्षण सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना था। रुपये की मांग 2011-12 की अवधि के लिए 339736617 की पुष्टि की गई थी। पक्षकारों ने अपील दायर की और सीईएसटीएटी ने 6 करोड़ रुपये पूर्व जमा करने का निर्देश देते हुए स्थगन आवेदन का निपटारा किया। इसी मुद्दे पर पक्षकारों को एक और एससीएन जारी किया गया था और शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को उपकर और जुर्माना को छोड़कर पुष्टि की गई मांग का एक तिहाई जमा करने का निर्देश दिया था। 6 करोड़ रुपये के लिए CESTAT दिशा। ड्यूटी का सिर्फ 20% है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण है। पूर्व-जमा का आदेश विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है और इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अतः विभागीय अपील खारिज की जाती है।

42. मैसर्स डालमिया सीमेंट्स लिमिटेड के मामले में 2008 के सीएमए नंबर 3420 और 3421 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.06.2015।

42.1 विभाग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने समान प्रकृति के हीरो मोटर्स के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल के निर्णय के लिए किसी की दखल अंदाजीकी आवश्यकता नहीं है।

42.2 मामले में, निर्धारिती ने बिजली संयंत्र के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट और पूंछगत वस्तुओं पर क्रेडिट प्राप्त किया। प्लांट को दूसरी कंपनी को लीज पर दिया गया था। विभाग का विचार था कि ऐसे माल को हटा दिया गया माना गया था और पक्षकारों क्रेडिट की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी सेनवैट क्रेडिट नियम

2004 के नियम 3(5) के अनुसार लिया गया। इसके अलावा, 15.03.2005 से 15.03.2006 तक बिजली संयंत्र को पट्टे पर देने के बाद, डीसीएल ने गलत तरीके से सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया क्योंकि इन इनपुट/पूँछगत वस्तुओं/इनपुट सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था। शुल्क योग्य अंतिम उत्पाद यानी सीमेंट के निर्माण के लिए डीसीएल का कारखाना। इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग के खिलाफ फैसला किया क्योंकि बिजली संयंत्र को पट्टे पर दिया गया था और "बेचा" नहीं गया था।

43. मेसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड, बोंथापल्ली गांव, मेडक जिले के मामले में 2004 के सीईए नंबर 27 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद के उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2017।

43.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्य की किसी विकृति के अभाव में और विभाग के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर आक्षेपित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया कि वर्तमान अपील में कोई चुनौती नहीं थी सीमा के पहलू के संबंध में और यह कि अपील योग्यता से रहित है।

43.2 मामले में, निर्धारिती ने सीएचए को शामिल करने वाली फार्मास्यूटिकल दवाओं के निर्माण के लिए आर/एम आयात किया। सीएचए ने विभिन्न पक्षों द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग सीमा शुल्क दायित्व के निर्वहन के लिए किया सीमा शुल्क बंधुआ गोदाम से माल की निकासी करते समय। पक्षकारो ने सीवीडी का श्रेय लिया। जाली/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए गए ऋण की मांग की पुष्टि की गई। सेस्टेट अलग रखा गया आयुक्त के OIO ने कहा कि Hetero Drugs उनके CHA के कथित कृत्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और कंपनी ने CVD का क्रेडिट प्राप्त किया है जिसे उसने डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया है। CESTAT ने यह भी कहा कि Hetero Drugs Ltd की ओर से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें भेजा जा रहा बिल ऑफ़ एंट्री मनगढ़ंत था। उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील खारिज कर दी।

44. मैसर्स स्कैन स्पंज आयरन लिमिटेड द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4494/2010 में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2015।

44.1 विभाग ने माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय के आधार पर तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया मेसर्स वसुंधरा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 2011 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 29680 दिनांक 23.04.2013 में एक ही अदालत ने पारित किया। जिसे मेसर्स आर्यन इस्पात लिमिटेड, जिसमें अधिसूचना संख्या 32/2006 के मामले में 2010 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 16132 में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2011 के निर्णय के संदर्भ में निपटाया गया था। -सीई (गै.टे.) दिनांक 30.12.2006 को ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 गग और सेनवैट के नियम 12 कक घोषित किया गया था। क्रेडिट नियम, 2004 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और भारत के संविधान के लिए अल्ट्रा वायर्स के रूप में और यह भी माना कि उक्त नियम के तहत जारी अधिसूचना संख्या 32/2006 के तहत बने रहने योग्य नहीं है।

44.2 इसमें शामिल मुद्दा यह था कि निर्धारिती, अर्थात् मैसर्स स्कैन स्पंज आयरन लिमिटेड दो फैक्ट्री इकाइयों से तैयार माल को गुप्त रूप से हटाने में लगा हुआ था। वही पाया गया एक खोज के दौरान। मांग की पुष्टि के खिलाफ पक्षकारो ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले में पिछले फैसले के आधार पर अधिसूचना रद्द कर दी संख्या 32/2006-सीई दिनांक 30.12.2006 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 12 गग और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 12 क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित किया।

45. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मेसर्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के मामले में सीएमए संख्या 1182/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2015

45.1 विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जिसने सेस्टेट के आदेश संख्या 1106/2007 दिनांक 03.09.2007 को बरकरार रखा और विभागीय को खारिज कर दिया अपील करना।

45.2 मामले में, निर्धारिती ने भारतीय रेलवे के लिए स्टील फ्रेट कंटेनर और यात्री डिब्बों का निर्माण किया। उन्होंने उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना निर्माण से उत्पन्न होने वाले लौह और अलौह स्क्रेप को बेच दिया। हालांकि, सीईएसटीएटी और माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षकारो के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि अधिसूचना संख्या 89/95-सीई दिनांक 18.05.1995 के तहत छूट प्राप्त माल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्क्रेप को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, विभाग ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि मैसर्स आईसीएफ ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पर निम्न संस्थाओं को कोच और कंटेनरों के घटकों को मंजूरी दे दी थी, जिसने अधिसूचना संख्या 62/95 सीई दिनांक 16.03.2015 द्वारा निर्धारित तीन शर्तों में से दो का उल्लंघन किया। 1995. माननीय उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को मंजूरी दे दी है कि जब तक निर्मित सामान छूट वाले सामान हैं, तब तक छूट प्राप्त माल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, स्क्रेप, अधिसूचना संख्या 89/95-सीई 18.5.1995 के अनुसार छूट के हकदार होंगे। दिनांक

46. तेलंगाना राज्य के लिए माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और आंध्र प्रदेश राज्य दिनांक 08.10.2015 सीईए संख्या 107/2015 में मैसर्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड [2016-TIOL-33-HC-AP-CX] के मामले में

46.1 विभाग ने माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है जहां माननीय न्यायालय ने विभाग द्वारा दायर सीईए को दोहराते हुए खारिज कर दिया था और ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्त विचारों की पुष्टि।

46.2 मामले में आरोप यह था कि पक्षकारो ने सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(1) के उल्लंघन में छूट प्राप्त माल के निर्माण के लिए उपयोग किए गए इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट लिया और उक्त क्रेडिट के प्रत्यावर्तन के समय ब्याज का भुगतान नहीं किया। पक्षकारो की अपील पर सेस्टेट ने कहा कि मार्च, 2010 में पक्षकारो ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या मैसर्स बी.ई.एल. छूट दी गई है। स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण उन्होंने सितंबर'10 से मार्च'11 के दौरान सेनवैट क्रेडिट लिया था नौकरी के कर्मचारियों ने 180 दिनों के भीतर सितंबर'10 तक सभी इनपुट वापस नहीं किए और पक्षकारो को क्रेडिट वापस करना पड़ा। क्रेडिट को उलटने के लिए, उन्हें क्रेडिट लेना पड़ा। जब मार्च, 2011 तक विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था, निर्धारिती के पास सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके 90, 94, 851 रुपये के उत्पाद शुल्क के भुगतान पर मार्च, 2011 में दो खेपों को चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रैल, 2011 में टीआरयू, सीबीईसी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर, अपीलकर्ता ने सेनवैट क्रेडिट की पूरी राशि को वापस कर दिया। परिस्थितियों में, सेस्टेट ने माना कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा गलत तरीके से क्रेडिट लिया गया था। जब क्रेडिट नहीं लिया जाता है गलत तरीके से, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 के प्रावधानों के संदर्भ में ब्याज के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है। सीईएसटीएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि विभागीय अपील योग्यता से रहित है और इसलिए इसे खारिज कर दिया।

4. बोर्ड द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त आदेशों को स्वीकार कर लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आपके अधिकार क्षेत्र में कानून के प्रश्नों से संबंधित लंबित मामलों या उक्त आदेशों में तय किए गए तथ्यों पर समान मामले का निर्णय शीघ्रता से किया जा सकता है।

5. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

शंकर प्रसाद शर्मा
अवर सचिव, भारत सरकार